

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 596

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना

596. श्री आनंद भदौरिया:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान हर घर जल योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य और कवर किए गए परिवारों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में, जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल से जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जेजेएम के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। मिशन के शुभारंभ के समय शेष सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्षित किया गया था। राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 तक 6.07 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 में लगभग 2.33 करोड़ परिवारों और वर्ष 2023-24 में लगभग 3 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, 23.07.2024 तक, लगभग 15 करोड़ (77.65%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

लक्षित/शेष ग्रामीण परिवारों और वर्ष 2021-22 तक, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (22.07.2024 तक) में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II-क** में दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की जिला स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर देखी जा सकती है:

<https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIएनडीia.aspx>

इसके अलावा, 22.07.2024 तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात् 100% परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध हो रही है और 8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2024-25 में कार्य पूरा करने की योजना बना रहे हैं। वर्ष 2024-25 में लक्षित ग्रामीण परिवारों का विवरण **अनुबंध-II-ख** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 596 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: वर्ष 2022-23 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.63	9.15	2.16	2.79	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	702.78	3,458.20	एनडी	702.78	305.08	98.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	452.13	1,116.35	1,116.35	1,568.48	1,284.15	152.92
4.	असम	1,819.22	6,117.61	4,588.21	6,407.43	3,959.95	442.75
5.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	54.95	एनआर	66.19
6.	छत्तीसगढ़	147.06	2,223.98	2,223.98	2,371.04	2,097.06	2,079.48
7.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.95	11.04	20.14
8.	गुजरात	583.39	3,590.16	3,590.16	4,173.55	3,084.89	3,272.38
9.	हरियाणा	157.45	1,157.44	463.00	620.45	519.77	447.46
10.	हिमाचल प्रदेश	818.43	1,344.94	1,344.94	2,163.37	1,615.65	182.41
11.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	1,439.50	2,045.21	1,141.38	153.69
12.	झारखंड	200.08	2,825.52	2,119.14	2,319.22	1,789.85	1,593.00
13.	कर्नाटक	1,262.88	5,451.85	2,725.93	3,988.81	2,806.03	3,237.60
14.	केरल	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
15.	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.34	एनआर
16.	लक्षद्वीप	-	36.99	9.25	9.25	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	4,586.93	3,526.87	3,516.37
18.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.12
19.	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	398.06	233.64	26.03
20.	मेघालय	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
21.	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	528.66	407.40	45.74
22.	नागालैंड	17.00	484.28	484.28	501.28	481.71	52.71
23.	ओडिशा	1,197.28	3,608.62	1,768.73	2,966.01	2,166.69	2,150.19
24.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.34	0.94	0.22
25.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	264.78	264.80	210.69
26.	राजस्थान	1,288.38	13,328.60	6,081.80	7,370.18	3,938.57	4,122.81
27.	सिक्किम	112.90	136.17	188.92	301.82	222.53	20.63
28.	तमिलनाडु	534.20	4,015.00	872.96	1,407.16	593.72	664.36
29.	तेलंगाना	37.45	1,657.56	एनडी	37.45	11.39	13.52
30.	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	1,025.69	798.67	82.64
31.	उत्तर प्रदेश	3,047.68	12,662.05	9,496.54	12,544.22	9,731.69	9,366.35
32.	उत्तराखंड	590.62	1,612.50	1,209.38	1,800.00	1,517.93	164.10
33.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21

दादरा नगर हवेली एवं दमण व दीव निधि का लाभ नहीं उठाता है

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2023-24 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.20	7.52	3.76	5.96	0.99	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	397.70	6,530.49	793.57	1,191.27	862.09	940.04
3.	अरुणाचल प्रदेश	284.30	1,057.11	771.21	1,055.51	1,016.78	125.79
4.	असम	2,447.47	10,351.68	6,204.00	8,651.47	7,870.90	866.11
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	273.99	4,485.60	2,885.56	3,159.55	2,639.44	2,627.64
7.	गोवा	0.92	11.25	11.25	12.17	11.76	11.25
8.	गुजरात	1,088.66	2,982.85	2,237.14	3,325.80	2,377.83	2,676.40
9.	हरियाणा	100.67	1,053.44	526.72	627.39	589.79	687.56
10.	हिमाचल प्रदेश	547.72	379.67	402.34	950.06	859.96	98.38
11.	जम्मू एवं कश्मीर	903.84	9,611.31	3,267.12	4,170.96	3,510.52	364.69
12.	झारखंड	529.38	4,722.76	2,875.35	3,404.73	3,140.70	3,291.53
13.	कर्नाटक	1,182.78	12,623.37	4,966.62	6,149.40	5,239.07	6,017.19
14.	केरल	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
15.	लद्दाख	280.68	477.11	131.07	411.75	346.73	एनआर
16.	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	29.07	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,060.06	10,297.86	5,419.90	6,479.96	6,388.57	6,390.54
18.	महाराष्ट्र	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
19.	मणिपुर	164.42	110.54	एनडी	164.42	119.49	18.75
20.	मेघालय	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,572.14	171.69
21.	मिजोरम	121.27	425.46	303.10	424.37	416.52	43.77
22.	नागालैंड	19.57	366.86	314.90	334.47	293.35	44.02
23.	ओडिशा	799.32	2,108.54	2,108.54	2,907.86	2,441.62	2,428.40
24.	पुदुचेरी	5.40	15.39	1.00	6.40	6.39	0.62
25.	पंजाब	-	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
26.	राजस्थान	3,431.61	3,019.94	250.00	3,681.61	2,899.24	3,904.02
27.	सिक्किम	79.29	634.55	251.61	330.90	318.98	29.67
28.	तमिलनाडु	813.45	3,615.56	2,617.10	3,430.55	2,607.29	2,601.54
29.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	744.18	971.19	860.09	105.25
31.	उत्तर प्रदेश	2,812.52	20,884.45	16,947.00	19,759.52	19,087.04	20,269.16
32.	उत्तराखंड	282.07	4,689.69	1,890.66	2,172.73	1,949.33	237.66
33.	पश्चिम बंगाल	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11

दादरा नगर हवेली एवं दमण व दीव निधि का लाभ नहीं उठाता है

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

अनुबंध- II क

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 596 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लक्षित ग्रामीण परिवारों और नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (22.07.2024 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	लक्षित/शेष ग्रामीण परिवार (एचएच)	नल जल कनेक्शन दिए गए ग्रामीण परिवार			नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
					21-22 तक	22-23 में	23-24 में	संख्या	%
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	0.33	0.33	-	-	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.45	30.74	64.70	23.55	11.88	3.86	70.12	73.46
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	2.06	1.20	0.34	0.52	2.29	100.00
4.	असम	71.64	1.11	70.53	22.08	8.75	22.95	57.34	80.04
5.	बिहार	166.89	3.16	163.73	152.29	3.63	1.27	160.36	96.08
6.	छत्तीसगढ़	50.05	3.20	46.85	6.92	10.81	18.05	39.25	78.42
7.	दादरा नगर हवेली एवं दमण व दीव	0.85	0.00	0.85	0.85	-	-	0.85	100.00
8.	गोवा	2.64	1.99	0.65	0.64	-0.00	-	2.64	100.00
9.	गुजरात	91.18	65.16	26.02	20.99	5.03	-	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	17.66	12.75	12.75	-	-	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	9.46	8.24	0.93	0.29	17.09	100.00
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.68	5.75	12.93	4.81	0.40	3.47	15.09	80.76
13.	झारखंड	62.34	3.45	58.89	8.14	8.77	11.93	33.69	54.05
14.	कर्नाटक	101.15	24.51	76.63	22.35	20.57	9.23	78.91	78.02
15.	केरल	70.86	16.64	54.22	11.54	5.29	3.67	37.76	53.29
16.	लद्दाख	0.41	0.01	0.39	0.11	0.18	0.07	0.38	93.25
17.	लक्षद्वीप	0.13		0.13	-	-	0.11	0.12	89.22

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	लक्षित/शेष ग्रामीण परिवार (एचएच)	नल जल कनेक्शन दिए गए ग्रामीण परिवार			नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
					21-22 तक	22-23 में	23-24 में	संख्या	%
18.	मध्य प्रदेश	111.81	13.53	98.28	34.95	8.91	11.30	71.32	63.78
19.	महाराष्ट्र	146.72	48.44	98.28	53.19	8.22	15.17	126.61	86.29
20.	मणिपुर	4.52	0.26	4.26	2.71	0.49	0.08	3.59	79.59
21.	मेघालय	6.51	0.05	6.46	2.23	0.80	1.91	5.20	79.84
22.	मिजोरम	1.33	0.09	1.24	0.71	0.30	0.22	1.33	100.00
23.	नागालैंड	3.63	0.14	3.49	1.42	0.87	0.75	3.33	91.56
24.	ओडिशा	88.70	3.11	85.59	37.31	12.22	12.06	65.60	73.97
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	0.21	0.21	0.00	-	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.19	16.79	17.40	17.35	0.05	0.00	34.19	100.00
27.	राजस्थान	107.07	11.74	95.33	13.21	13.88	12.18	55.11	51.47
28.	सिक्किम	1.33	0.70	0.63	0.18	0.19	0.10	1.18	88.95
29.	तमिलनाडु	125.16	21.76	103.40	31.20	26.52	23.05	106.02	84.71
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	38.30	38.19	0.11	-	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.50	0.25	7.26	3.53	0.81	1.32	6.14	81.90
32.	उत्तर प्रदेश	265.94	5.16	260.78	29.63	59.88	120.51	224.19	84.30
33.	उत्तराखंड	14.53	1.30	13.23	7.94	2.15	2.25	13.80	95.00
34.	पश्चिम बंगाल	175.26	2.15	173.11	35.83	20.77	22.92	89.00	50.78
	कुल	19,32.01	3,23.63	16,08.38	6,06.57	2,32.75	2,99.26	14,99.84	77.63

दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है।

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एचएच: परिवार

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 596 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध वर्ष 2024-25 के लिए लक्षित ग्रामीण परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों द्वारा नल जल कनेक्शन की योजना (लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	5.40
2.	असम	10.00
3.	बिहार	6.54
4.	छत्तीसगढ़	4.30
5.	जम्मू एवं कश्मीर*	4.28
6.	झारखंड	20.60
7.	कर्नाटक	15.00
8.	केरल	10.94
9.	लद्दाख*	0.03
10.	लक्षद्वीप*	0.03
11.	मणिपुर	0.99
12.	महाराष्ट्र	21.62
13.	मध्य प्रदेश	21.07
14.	मेघालय*	1.52
15.	नागालैंड*	0.46
16.	ओडिशा	12.86
17.	राजस्थान	25.00
18.	सिक्किम*	0.14
19.	तमिलनाडु	8.09
20.	त्रिपुरा*	1.59
21.	उत्तर प्रदेश	48.88
22.	उत्तराखंड*	0.88
23.	पश्चिम बंगाल	33.15
24.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	हर घर जल
25.	अरुणाचल प्रदेश	हर घर जल
26.	दादरा नगर हवेली एवं दमण व दीव	हर घर जल
27.	झिम्झि नहीं	हर घर जल
28.	गुजरात	हर घर जल
29.	हरियाणा	हर घर जल
30.	हिमाचल प्रदेश	हर घर जल
31.	मिजोरम	हर घर जल
32.	पुदुचेरी	हर घर जल
33.	पंजाब	हर घर जल
34.	तेलंगाना	हर घर जल

*8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2024-25 में कार्य संपूर्णता की योजना बनाई